न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी बीना महावर, आर0ए0एस0)

पत्रावली संख्या अपील 32/2015

1–सरस्वती पुत्री चेतराम
2–रुकमणी पुत्र दयाराम
} जाति जाट निवासी सहना तहसील रुपवास हाल निवासी मुढोता तहसील व जिला भरतपुर .....अपीलान्ट

बनाम

ओमवती पुत्री दयाराम जाति जाट निवासी सहना तहसील रुपवास .....रस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 75 एलआर एक्ट विरुद्ध आदेश नायव तहसीलदार उच्चैन निर्णय दिनांक 7.9.2015 बाबत नामान्तकरण संख्या 1842 ग्रांम सहना तहसील रुपवास ।

उपस्थित :–

1–श्री महाराज सिंह डांगुर अभिभाषक अपीलान्ट
2–श्री विजयसिंह कुन्तल अभिभाषक रेस्पो0

दिनांक 28.10.2020

निर्णय

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्ध रेस्पो0 व खिलाफ आदेश नायव तहसीलदार उच्चैन के निर्णय दिनांक 9.11.2015 के खिलाफ पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश में नायव तहसीलदार उच्चैन ने नामान्तकरण संख्या 1842 ग्रांम सहना तहसील उच्चैन ए.सी.एम उच्चैन के निर्णय डिक्री के आधार पर रेस्पो0 के हक में खोला जाकर स्वीकार किया गया है, जिसके खिलाफ यह अपील अपीलान्ट ने पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पो. एवं पत्रावली तहत तलब की गई। अभिभाभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

.....2

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्कों में अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय से उत्तरवादीया ने डिगरी प्राप्त की है वह निरस्त वसीयत के आधार पर न्यायालय को धोखा देकर हॉसिल की है। ऐसी निर्णय व डिकरी की पालना में भरा गया यह नामान्तकरण भी शून्य है व निरस्तनीय है। उनका यह भी तर्क है कि कब्जे काश्त की मौके पर जॉच नही की गई है। इन्द्राज खातेदारी अप्रार्थीया के नाम 2/3 हिस्सा पर विरासत के नामान्तकरण से राजस्व अभिलेख में पूर्व में ही दर्ज है। विरासत के नामान्तकरण को स्व0 दयाराम की मृत्यू उपरान्त अपीलार्थीया व उत्तरवादीया के हक में स्वीकृत किये डिक्री को भी उत्तरवादी ने न्यायालय तहत व न्यायालय एसी एम के समक्ष छुपाया है इसलिये अपीलाधीन आदेश गलत है निरस्तनीय है। अन्त में अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

योग्य अभिभाषक रेस्पो ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि अपीलाधीन नामान्तकरण सहायक कलक्टर उच्चेन के निर्णय/डिकरी दिनांक 24.8.2015 के आधार पर खोला गया है। जिसमें तहत न्यायालय ने कोई गलती नही की है। अपील चलने योग्य नहीं है। अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 1842 का अवलोकन किया गया। नामान्तकरण संख्या 1842 के कॉलम 14,16 में हो रहे इन्द्राजात से जाहिर है कि यह नामान्तकरण सहायक कलेक्टर उच्चैन के निर्णय/डिकरी इजराय दिनांक 31.8.2015 की पालना में खोला जाकर स्वीकार किया गया है। नायव तहसीलदार उच्चैन ने न्यायालय सहायक कलेक्टर उच्चैन के निर्णय/डिकरी की पालना की है। जिसमें उसने कोई त्रुटि नहीं की है। अपीलाधीन आदेश में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाते हैं। अस्तु अपील अपीलान्ट काबिल खारिज के रहती है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय प्रति के साथ पत्रावली तहत वापिस नायव तहसीलदार उच्चैन को लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2020 को सुनाया गया।

(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भरतपुर